भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 564
28 नवम्बर, 2024 को उत्तर देने के लिए

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में पीएलआई योजना

564. श्री बस्तीपति नागराजू:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत मंडपम में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कार्यक्रम के दौरान सरकार को प्राप्त निवेश प्रस्तावों की कुल राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में कोई प्रोडक्शन लिंक्ड प्रोमोशन (पीएलआई) योजना शुरू की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आन्ध्र प्रदेश में इस योजना के लिए आवेदन करने वाली कंपनियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके लिए चयनित कंपनियों और संवितरित निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने 3 से 5 नवंबर, 2023 के दौरान भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया -2023 का आयोजन किया। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दौरान घोषित निवेश हितों और हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों की कुल राशि 33,129 करोड़ रुपये है।

(ख): खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने और इसके समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय देश भर में केंद्रीय क्षेत्र की अम्ब्रेला स्कीम प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) और केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) स्कीम को लागू कर रहा है। पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के अंतर्गत, मंत्रालय समय-समय पर जारी की गई अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के आधार पर चयनित उद्यमियों को अनुदान के रूप में ज्यादातर ऋण से जुड़ी वित्तीय सहायता (पूंजीगत सब्सिडी) प्रदान करता है, जिसका 15वें वित्त आयोग चक्र के लिए कुल परिव्यय 5520 करोड़ रुपये है। मंत्रालय पीएमएफएमई योजना के तहत ऋण से जुड़ी सब्सिडी के माध्यम से वैयक्तिक सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता भी प्रदान करता है। यह योजना 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2025-26 तक की अवधि के लिए चालू है।

(ग) से (ङ): मंत्रालय भारत की प्राकृतिक संसाधन देन के अनुरूप वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैंपियनों के निर्माण में सहायता करने और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों की सहायता करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना- "खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई)" को लागू कर रहा है। इस पर 10,900 करोड़ रुपये का परिव्यय है, जिसे 2021-22 से 2026-27 तक लागू किया जाएगा। पीएलआईएसएफपीआई का लक्ष्य खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में चैंपियन ब्रांड बनाकर खाद्य प्रसंस्करण क्षमता के विस्तार को सुसाध्य बनाना है। पीएलआई स्कीम के तहत आंध्र प्रदेश राज्य से प्राप्त आवेदनों का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है । प्राप्त 13 आवेदनों में से 07 कंपनियों का चयन किया गया। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 63.92 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि 6 पीएलआई लाभार्थियों को और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 19.27 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि 2 पीएलआई लाभार्थियों को वितरित की गई।

*****

अनुबंध

दिनांक 28.11.2024 को उत्तर हेतु "खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में पीएलआई योजना" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 564 के भाग (ग) से (ङ)के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पीएलआई योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य से प्राप्त आवेदनों का विवरण

आवेदक का नाम	**श्रेणी**	**लक्ष्य खंड**
अवंती फ्रोजन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	श्रेणी 1	समुद्री उत्पाद
देवी फिशरीज लिमिटेड	श्रेणी 1	समुद्री उत्पाद
देवी सी फूड्स लिमिटेड	श्रेणी 1	समुद्री उत्पाद
नेक्कंती सी फूड्स लिमिटेड	श्रेणी 1	समुद्री उत्पाद
संध्या एक्वा	श्रेणी 1	समुद्री उत्पाद
संध्या मरीन्स लिमिटेड	श्रेणी 1	समुद्री उत्पाद
कोस्टल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	श्रेणी 2	अभिनव
वीरभद्रा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड,	श्रेणी 2	अभिनव
श्री श्रीनिवास डेयरी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	श्रेणी 2	जैविक
श्री वेंकटेश्वर एजेंसीज	श्रेणी 2	अभिनव
जगदीश मरीन एक्सपोर्ट्स	श्रेणी 3	ब्रांडिंग और विपणन
मौर्या एक्वेक्स प्राइवेट लिमिटेड	श्रेणी 3	ब्रांडिंग और विपणन
कोस्टल फूड्स	मिलेट आधारित उत्पाद	मिलेट एमएसएमई

*****